

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(क) आरंभिक पैरा में,--

(i) आठवें परंतुक में, "31 मार्च, 2017" अंकों, अक्षर और शब्दों के स्थान पर "30 जून, 2017" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) आठवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात उक्त सारणी के क्रम सं. 145ख, 145ग, 148ककक, 187ग, 187घ, 256ग और 321क के सामने विनिर्दिष्ट माल पर, 30 जून, 2017 के पश्चात् लागू नहीं होगी ;

(ख) सारणी में,

(i) क्रम सं0 48 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "पेपर रोलड बीड़ी से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं0 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“48क	2403 19 29	हाथ से बनाई गई पेपर रोलड बीड़ी	28 रुपए प्रति हजार	-;
48ख	2403 19 29	मशीन से बनाई गई पेपर रोलड बीड़ी	78 रुपए प्रति हजार	-”;

(iii) क्रम सं0 128 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, "31 (3101 के सिवाय)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं0 145क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“145ख	3815 90 00	वायु चलित विद्युत जनरेटर के ढलवां संघटकों के विनिर्माण के लिए उत्प्रेरक	कुछ नहीं	53
145ग	3909 40 90	वायु चलित विद्युत जनरेटर के ढलवां संघटकों के विनिर्माण के लिए रेजिन	कुछ नहीं	53”;

(v) क्रम सं0 148कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“148ककक	3921 19 00	घरेलू प्रकार के फिल्टरों के लिए आरक्षित परासरण (आरओ) मेम्ब्रेन के विनिर्माण में उपयोग के लिए मेम्ब्रेन शीट और ट्राइकोट/अंतरक	6%	2”;

(vi) क्रम सं0 187ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“187ग	70	निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए सौर पायित कांच :-- (क) सौर प्रकाश वोल्टिय सेल या गुणांक ; (ख) सौर शक्ति उत्पादित करने वाले उपस्कर या प्रणाली ; (ग) समतल प्लेट सौर संग्राही ; (घ) सौर प्रकाश वोल्टिय गुणांक और जल पम्पिंग और अन्य उपयोजनों के लिए पैनल ।	6%	2;
187घ	कोई	निम्नलिखित के उपयोग के लिए सौर	6%	2”;

	अध्याय	पायित कांच के विनिर्माण के लिए पुर्जे/कच्ची सामग्री :-- (क) सौर प्रकाश वोल्टिय सेल या गुणांक ; (ख) सौर शक्ति उत्पादित करने वाले उपस्कर या प्रणाली ; (ग) समतल प्लेट सौर संग्राही ; (घ) सौर प्रकाश वोल्टिय गुणांक और जल पम्पिंग और अन्य उपयोजनों के लिए पैनल ।		
--	--------	--	--	--

(vii) क्रम सं0 195 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“195	7105 या 7112	(i) प्राकृतिक रत्न या उप रत्न की धूलि और पाउडर (ii) अध्याय 71 के भीतर आने वाले माल के विनिर्माण के अनुक्रम में उदभूत बहुमूल्य धातु या धातु अधिपट्टित बहुमूल्य धातु का अपशिष्ट और स्क्रेप	कुछ नहीं कुछ नहीं	- 52क”;

(viii) क्रम सं. 196 के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “52क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 199 में, स्तंभ (3) के मद (III) के सामने स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “52क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) क्रम सं. 200 में, स्तंभ (3) के मद (III) के सामने स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “52क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) क्रम सं0 256ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“256ग	84 या 85	निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (i) मानक संस्करण 1.5.1 के अनुसार सुक्ष्म एटीएम;	कुछ नहीं	-

		(ii) अंगुल छाप रीडर/स्कैनर ; (iii) आईरिस स्कैनर (iv) एमपीओएस के लिए लघुरूपी पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन या टेबलेट कंप्यूटर से भिन्न) ; (v) उपरोक्त (i) से (iv) पर उल्लिखित मालो के विनिर्माण के लिए पुर्जे और संघटक ।	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं	- - - 2”;
--	--	---	--	--------------------

(xii) क्रम सं0 321क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“321क	कोई अध्याय	एलईडी लाइटों और फिक्सचर्स, जिसके अंतर्गत एलईडी लैम्प भी हैं, के विनिर्माण के लिए सभी पुर्जे	6%	2”;

(xiii) क्रम सं0 332क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“332क	कोई अध्याय	सूची 8 में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर खप गए पुर्जे (सौर पायित कांच के सिवाय) ।	कुछ नहीं	2”;

(फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 02/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जनवरी, 2017 द्वारा जो सा.का.नि. 22(अ), तारीख 11 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।